न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 67 / 2022 दायर दिनाँक 18.02.2022

वादी

1. भेघाराम पुत्र लादुराम
2. मघाराम पुत्र बिड़दाराम
3. हेमाराम पुत्र नारायणराम

समस्त जाति जाट निवासी बेरी कलां, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. कुनणी देवी पत्नि केशर
2. किशनाराम पुत्र खेमाराम समस्त जाति जाट निवासी बेरी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
3. गणपति पुत्री केशराराम व पत्नि श्योजीराम जाति जाट निवासी बेरी कलां हाल निवासी फागड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.
4. छिगनी पुत्री खेमाराम व पत्नि मांगुराम जाति जाट निवासी बेरी कलां हाल निवासी कीचक तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
5. छोटूराम पुत्र हनुमानाराम
6. तुलछाराम पुत्र खेमाराम
7. नेमीचन्द पुत्र केशराराम
8. पन्नी देवी पत्नि हनुमानाराम समस्त जाति जाट निवासी बेरी कलां
9. परमेश्वरी देवी पुत्री हनुमानाराम व पत्नि मोहनराम जाति जाट निवासी बेरी कलां हाल निवास हरिपुरा, लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर, राजस्थान
10. भागुराम पुत्र हनुमानाराम
11. मेहनी पुत्री खेमाराम व पत्नि दुलाराम जाति जाट निवासी बेरी कलां हाल निवासी गोमथलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
12. सुगना पुत्री केशराराम व पत्नि नरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी बेरी कलां हाल निवासी कोलिड़ा, सीकर राजस्थान
13. तहसीलदार डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–188, 53, 88

उपस्थितः–

1. श्री चेनाराम थोरी व मुकेश थोरी वकील वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **07.07.2022**

वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खोतदारी के खेत खसरा सं0 572 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 573 रकबा 3.9400 हैक्टे0 कुल खसरा सं0 2 कुल रकबा 4.000 हैक्टे0 वाकै सरदह ग्राम बेरी कलां तहसील डीडवाना पटवार हल्का डाबड़ा में अवस्थित है।

भूमि में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 01.07.2022 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 1316 दिनाँक 07.07.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1316 दिनाँक 07.07.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरदह ग्राम बेरी कलां की भूमि में वादीगण की घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1316 दिनाँक 07.07.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1316 दिनाँक 07.07.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

(सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर))

निर्णय आज दिनाँक **07.07.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 67/2022

दायर दिनाँक 18.02.2022

वादी

1. मेघाराम पुत्र लादुराम
2. मघाराम पुत्र बिडदाराम
3. हेमाराम पुत्र नारायणराम समस्त जाति जाट निवासी बेरी कलां, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. कुनणी देवी पत्नि केशर
2. किशनाराम पुत्र खेमाराम समस्त जाति जाट निवासी बेरी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
3. गणपति पुत्री केशराराम व पत्नि श्योजीराम जाति जाट निवासी बेरी कलां हाल निवासी फागड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.
4. छिगनी पुत्री खेमाराम व पत्नि मांगुराम जाति जाट निवासी बेरी कलां हाल निवासी कीचक तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
5. छोटूराम पुत्र हनुमानाराम
6. तुलछाराम पुत्र खेमाराम
7. नेमीचन्द पुत्र केशराराम
8. पन्नी देवी पत्नि हनुमानाराम समस्त जाति जाट निवासी बेरी कलां
9. परमेश्वरी देवी पुत्री हनुमानाराम व पत्नि मोहनराम जाति जाट निवासी बेरी कलां हाल निवास हरिपुरा, लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर, राजस्थान
10. भागुराम पुत्र हनुमानाराम
11. मेहनी पुत्री खेमाराम व पत्नि दुलाराम जाति जाट निवासी बेरी कलां हाल निवासी गोमथलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
12. सुगना पुत्री केशराराम व पत्नि नरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी बेरी कलां हाल निवासी कोलिड़ा, सीकर राजस्थान
13. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा–188, 53, 88

उपस्थितः–

1. श्री चेनाराम थोरी व मुकेश थोरी वकील वादीगण।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनाँक 30.06.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खोतदारी के खेत खसरा सं0 572 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 573 रकबा 3.9400 हैक्टे0 कुल खसरा सं0 2 कुल रकबा 4.000 हैक्टे0 वाके सरदह ग्राम बेरी कलां तहसील डीडवाना पटवार हल्का डाबड़ा में अवस्थित है।

यंह है कि प्रतिवादीनी सं0 3, 4, 9, 11, 12 अपने–अपने ससुराल में रह रही है, मगर विरासतन उनका नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण व वादीगण का खसरा सं0 572 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 573 रकबा 3.9400 हैक्टे0 कुल खसरा सं0 2 कुल रकबा 4.000 हैक्टे0 में राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदार के रूप में नाम दर्ज है।

यह है कि पक्षकारान के मध्य आपसी ... पारिवारिक समायोजन व काश्त की सुविधानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण ... 1 ता 12 उपरोक्त खसरा सं0 का बंट किया हुआ है जो निम्न प्रकार ...

1. यह है कि वादी सं0 1 मेघाराम के बंट व कब्जा ... का हिस्सा की भूमि खसरा सं0 573 रकबा 3.9400 हैक्टे0 में से उत्तरी भाग में 1.4400 हैक्टे0 तथा खसरा सं0 572 रकबा 0.0600 हैक्टे0 इस प्रकार कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

1.5000 हैक्टे0 भूमि जिसे नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ से दर्शाया गया है।

2. वादी सं0 02 मघाराम के बंट व कब्जा काश्त का हिस्सा की भूमि खसरा सं0 573 रकबा 3.9400 हैक्टे0 में से 1.0000 हैक्टे0 भूमि जिसे नजरी नक्शा में मार्क जी, एच, आई, जे से दर्शाया गया है।
3. वादी सं0 3 हेमाराम के बंट व कब्जा काश्त का हिस्सा की भूमि खसरा सं0 573 रकबा 3.9400 हैक्टे0 में से दक्षिणी भाग में 1.0000 हैक्टे0 भूमि जिसे नजरी नक्शा में मार्क एफ, ई, जे, आई, के, एल से दर्शाया गया है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:—

यह है कि वाकै सरहद ग्राम बेरी कलां में अवस्थित खेत खसरा सं0 572 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 573 रकबा 3.9400 हैक्टे0, कुल खसरा 2 कुल रकबा 4.0000 हैक्टे0 का वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 12 के मध्य बंटवारा बाईमीट्स एण्डस बाउण्डस किया जाकर खसरा सं0 573 रकबा 3.9400 हैक्टे0 में से उत्तरी भाग में 1.4400 हैक्टे0 भूमि तथा खसरा सं0 572 रकबा 0.0600 हैक्टे0 भूमि सम्पूर्ण इस प्रकार कुल 1.5000 हैक्टे0 भूमि जिसे नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ से दर्शाया गया है, की खातेदारी वादी सं0 1 मेघाराम के नाम तथा खसरा सं0 573 रकबा 3.9400 हैक्टे0 में से 1.0000 हैक्टे0 भूमि जिसे नजरी नक्शा में मार्क जी, एच, आई, जे से दर्शाया गया है, की खातेदारी वादी सं0 02 मघाराम के नाम तथा खसरा सं0 573 रकबा 3.9400 हैक्टे0 में से दक्षिणी भाग में 1.0000 हैक्टे0 भूमि जिसे नजरी नक्शा में मार्क एफ, ई, जे, आई, के, एल, से दर्शाया गया है, वादीगण सं0 3 के नाम घोषित की जावे। इस आशय की डिक्री वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी करने की कृपा करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 01 ता 13 बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वाद का किसी पक्षकारान द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वकील वादी वाद में प्राथमिक डिक्री किया जाने में अपनी सहमति पेश करते है। वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान् दर्ज खातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाना चाहते हैं। पक्षकारान् वादग्रस्त भूमि में खातेदार होने से विधिवत् बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार हैं। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान् के बीच प्राथमिक डिक्री की जाकर, तहसीलदार डीडवाना से विभाजन प्रस्ताव लिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः तहसीलदार डीडवाना को निर्देशित किया जाता है कि वाकै सरहद बेरी कलां के खसरा सं0 572, 573 में वादीगण व प्रतिवादीगण के विभाजन प्रस्तावित उपरोक्त वर्णित व संलग्न नजरी नक्शा अनुसार करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है। तहसीलदार डीडवाना दौ प्रतियों में कुर्रेजात पेश करेंगे।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक 30.06.2022 को ... गया।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner